प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग, राजस्थान द्वारा शासन की कार्य प्रणाली को संवेदनशील तथा पारदर्शी बनाने तथा राज्य कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु एवं किसान भाईयों को सिंचाई एवं कृषि से संबंधित सूचनाएँ पाने के अधिकार के तहत पूर्व में नागरिक अधिकार पत्र वर्ष 2001 में बनाकर जारी किया गया था।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.08 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित कर पुनः नागरिक अधिकार पत्र का प्रकाशन किया गया है जिसमें निम्न बिन्दुओं का अतिरिक्त समावेश किया गया हैः–

1. विभाग के कार्य, निष्पादन की प्रक्रिया एवं निस्तारण की समयावधि।
2. विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
3. विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्मिकों के टेलीफोन नम्बर।
4. नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया।
5. सेवा प्रदान करने का शुल्क।
6. जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी।
8. अधिकार पत्र के प्रावधानों की पालना/उल्लंघन पर विभाग के निर्देश।

हमारा उद्देश्य

जल संसाधन विभाग के कार्यो में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना, सिंचाई हेतु जल व्यवस्थाओं की सूचनाएँ क्षेत्र की सूचनाएँ, निर्माण एवं रखरखाव की सूचनाएँ इत्यादि उपभोक्ता कृषकों को देना एवं कृषकों की अन्य आवश्यकतों एवं समस्याओं के निराकरण की जानकारी देने हेतु यह नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

हमारी वचनबद्धता

पारदर्शिता

विभागीय कार्य प्रणाली में सरलता, नियमों में स्पष्टता, कार्य सम्पादन में सहजता रखना एवं सिंचाई से सम्बन्धित सभी पहलुओं की आधुनिक तकनीक के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना।

जवाबदेही–

नागरिक अधिकार पत्र के अन्तर्गत जल संसाधन प्रशासन की प्रमुख कड़ी अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनि. अभियन्ता, पटवारी आदि के स्तर पर जवाबदेही, कार्य दायित्व एवं सत्संबधी समय सीमा का निर्धारण करना।

संवेदनशीलता

नागरिकों को पूरे सम्मान एवं संतुष्टि के साथ विवरण बताना।

गुणवत्ता

जल संसाधन विभाग द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यो की गुणवत्ता के बाबत नागरिकों को स्पष्ट एवं संतोष्रपद जानकारी देना।

नहरों में पानी संचालन

प्रतिवर्ष बांधो में वर्षा से एकत्रित पानी की समुचित उपयोग हेतु बाँधों से संबंधित जल वितरण समिति की बैठक आयोजित कर पानी के उपयोग का प्रकार तथा सिंचाई के कार्यक्रम का निर्धारण कराया जाना तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय को लागू करना।

सिंचाई एवं ड्रेनेज कार्यो के लिए कर्त्तव्य–

राज्य में स्थित समस्त सिंचाई व ड्रेनज कार्यो की प्रणाली का राजस्थान सिंचाई एवं ड्रेनेज एक्ट, 1954 के अनुसार नागरिकों के हित में उपयोग सुनिश्चित किया जाना। जिसके अनुसार विशेष रूप से निम्नाकिंत कार्यः–

- किसी नदी, नाला व अन्य जल स्त्रोत को जनहित के उपयोग हेतु अधिसूचित किया जाना।
- सुविधा के अनुसार नये कार्यालयों का सृजन, अनुपयोगी कार्यालयों का विलोपन।
- नियम विरूद्ध पानी का उपयोग करने पर एक्ट के अनुसार कार्यवाही करना।
- राजस्व वसूली की कार्यवाही करना।
- संबंधित लाभान्वित किसानों/नागरिकों से एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पालना सुनिश्चित करवाना।

जल संसाधन विभाग की संरचना, विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं निस्तारण की प्रक्रिया एवं सीमा अवधि

जल संसाधन विभाग माननीय जल संसाधन मंत्री के अधीन है। विभाग का समस्त प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में है। मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन एवं पदेन अतिरिक्त शासन सचिव, (तकनीकी मामलात) भी है। विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 पद जल संसाधन, 3 पद इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं सी.ए.डी., 1 पद सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण कोटा., एवं 1 पद बी.बी.एम.बी. के मिलाकर कुल 11 पद मुख्य अभियन्ता के है।

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन एवं पदेन अतिरिक्त शासनसचिव (तकनीकी मामलात) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) संभाग हनुमानगढ़, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सर्तकता जल संसाधन विभाग, राज., जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
7. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर।
8. मुख्य अभियन्ता, एवं पदेन अतिरिक्त शासन सचिव सी.ए.डी (पूर्व), जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी (पश्चिम) बीकानेर।
10. मुख्य अभियन्ता, बी.बी.एम.बी., चण्डीगढ़ (शेयर पद)।
11. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण कोटा

जल संसाधन विभाग के विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण, अनुरक्षण एवं जल वितरण से सम्बन्धित कार्यो को गति प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य अभियन्ता जल संसाधन एंव पदेन अतिरिक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर के अधीन 3 सम्भाग यथा– जयपुर, जोधपुर, एंव उदयपुर कार्यरत है।

इन सम्भागों के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर के हैं, जिन्हें विभागाध्यक्ष की तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त है।

मुख्य अभियन्ता एस डब्ल्यू आर पी डी के अधीन अन्वेषण, रूपाकंन एवं अनुसंधान जल संसाधन इकाई जयपुर, जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डिजाइन, पर्यावरण, जल विज्ञान, बांध सुरक्षा, बांधो एवं नहरों के डिजाइन इत्यादि कार्यो को सम्पादित करती है।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीन गंग नहर प्रणाली, इन्दिरा गांधी नहर (आर.डी. 0 से 620 तक) सिद्धमुख, नोहर एवं भाखड़ा परियोजना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के निर्माण, अनुरक्षण जल वितरण एवं जल नियंत्रण से संबंधित कार्यो को सम्पादित करते हैं।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रेग्यूलेशन वृत एवं 4 रेग्यूलेशन खंडो को रखकर जल के रेग्यूलेशन का कार्य सौपा गया है।

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण कोटा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं प्रबन्धकीय कार्यो के लिए उत्तरदायी है। जल संसाधन के विभिन्न संगठनों/संभागों के अन्तर्गत आने वाले जल संसाधन वृतों एवं खण्डों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	संभाग/संगठन का नाम		वृत कार्यालय का नाम	खण्डों की संख्या
1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर के अधीनः–				
अ.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर	क.	जल संसाधन वृत, जयपुर	5
		ख	जल संसाधन वृत, भरतपुर	5
		ग	जल संसाधन वृत, अजमेर	3
		घ	बांध वृत बीसलपुर परियोजना देवली	2
ब	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जोधपुर	क	जल संसाधन वृत, जोधपुर	3

		ख	जल संसाधन वृत, पाली	3
स	अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग, उदयपुर	क	जल संसाधन वृत, उदयपुर	3
		ख	जल संसाधन वृत, भीलवाड़ा	4
		ग	जाखम परि0 वृत, उदयपुर	2
		घ	जल संसाधन निर्माण वृत, उदयपुर	2
		द	माही परियोजना वृत, बांसवाडा	4
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा के अधीनः–				
		क	जल संसाधन वृत कोटा	2
		ख	रा.प्र.सा. एवं ज.सा. बांध वृत, कोटा	3
		ग	जल संसाधन वृत, बारां	2
		घ	जल संसाधन वृत, झालवाड़	3
		छ	जल संसाधन वूत, काली सिंध	3
3.	मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर के अधीनः–	क ख	नर्मदा नहर वृत, प्रथम सांचोर नर्मदा नहर वृत, द्वितीय सांचोर	4 3
4.	मुख्य अभियन्ता एस. डब्ल्यू. आर.पी.डी. राजस्थान जयपुर के अधीन			
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस डब्ल्यू आर.पी. डी., जयपुर 1. अधीक्षण अभियन्ता वाटर प्लानिंग 2. अधीक्षण अभियन्ता इन्वायरमेंट 3. अधीक्षण अभियन्ता आर एण्ड डी 4. अधीक्षण अभियन्ता इन्टरस्टेट 5. अधीक्षण अभियन्ता, मोनेटरिंग				
(ख) आई. डी. आर. इकाई				
		क	निदेशक,बांध जयपुर	6
		ख	निदेशक, नहर	5

5.	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीनः–			
		क	जल संसाधन वृत, श्री विजयनगर	4
		ख	जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर	3
		ग	सूरतगढ़ जल संसाधन वृत, हनुमानगढ़	2
		घ	राजस्थान जलक्षेत्र पुर्नसरंचना वृत, हनुमानगढ़,	2
		ड़	भाखड़ा जल संसाधन वृत, हनुमानगढ़	3
		च	जल नियंत्रक वास्ते राज., चंडीगढ़	2
		छ	सहवा लिफट वृत, इगानप, हनुमानगढ	2
6.	मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सर्तकता जल संसाधन विभाग, जयपुर			
		क	अधीक्षण अभियन्ता, पीएमयू. डब्ल्यू एस आर पी डी, जयपुर	3
		ख	अधीक्षण अभियन्ता, पीएमयू. राजमिप, जयपुर	2
		ग	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियंत्रण जयपुर	3
		घ	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियंत्रण, उदयपुर	4
		ड़	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियंत्रण, हनुमानगढ़	3
7.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
8.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अर्न्तराज्जीय), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			

सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र व राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है। इस अधिनियम में नागरिको को लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँच प्रदान की गयी है। किसी भी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियत्रंण में है।

इस अधिनियम के अनुसार अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, इ–मेल, राय, सलाह, प्रेस सूचना, परिपत्र, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी डाटा सामग्री एवं आकड़ों सम्बन्धी आधार सामग्री शामिल है जिसे लोक प्राधिकारी तत्समय लागू किसी कानून के तहत प्राप्त कर सकता है।

व्यक्ति को जानकारी सामान्यतः उस रूप में दी जानी चाहिए जिस रूप में मांगी गयी है। इसका अर्थ यह है कि यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गयी है तो यह छायाप्रति के रूप में मुहैया करायी जावे व यदि यह फ्लॉपी में मांगी जाती है तो अधिनियम के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया करायी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया करावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये है। इन लोक सूचना अधिकारियों को शासन सचिवालय स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर, जिला स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार जिले के नीचे उपखण्ड स्तरों पर भी नामित किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्ग सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, संध, कम्पनी आदि को जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत आते है, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ कम्पनी और गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जायेगी बशर्ते कि वह अपने

नाम से सूचना हेतु आवेदन करे पदनाम से नही। ऐसे मामले में यह प्रकल्पित माना जायेगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गयी है।

जल संसाधन विभाग में शासन उप सचिव, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 22(6)सि./99 दिनांक 27.12.05 द्वारा सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत अधिकारियों को अपीलीय अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित किया गया था।

लोक प्राधिकरण	**सहायक लोक सूचना अधिकारी**	**राज्य लोक सूचना अधिकारी**	**अपीलीय अधिकारी**
जल संसाधन विभाग	समस्त अधिशाषी अभियंता अपने संबधित क्षेत्राधिकारी में	अधीक्षण अभियन्ता संबंधित वृत	संबधित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण में शासन उप सचिव, जल संसाधन विभाग की पुनः जारी अधिसूचना प.01/मुअजसं/आर.टी.आई/एम–II/2013 दिनांक 24.06.2013 से निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

क्रम संख्या	कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत	संबधित अधीक्षण अभियन्ता	संबधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
2.	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड	संबधित अधिशाषी अभियन्ता	संबधित अधीक्षण अभियन्ता

राज्य सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक प.3(26)गृह.6/2006 दिनांक 03.05.07 के द्वारा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किये गये है। जल संसाधन विभाग में निम्न अधिकारी पदाभिहित किये गये है।

लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी मय पदनाम	अपीलीय अधिकारी
जल संसाधन विभाग	1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज., जयपुर 2. मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सर्तकता, जल संसाधन विभाग, जयपुर 3. मुख्य अभियन्ता, उत्तर सम्भाग, जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ 4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा 5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर। 6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर। 7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर 8. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 9. मुख्य अभियन्ता, एवं पदेन अतिरिक्त शासन सचिव सी.ए.डी (पूर्व), जयपुर। 10. मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी (पश्चिम) बीकानेर। 11. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण कोटा	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज., जयपुर।

अधिनियम की धारा 19 के तहत भारतीय नागरिक यदि विनिदिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नही करता है अथवा वह राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति या ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर राज्य लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है। अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 19 (1) व (2) में अपील का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के लिए प्रथम अपील अधिकारियो का विवरण उपरोक्त सारणियों के अनुरूप है। प्रथम अपील का निस्तारण अपील प्राप्त

होने के 30 दिवस के भीतर भीतर या यथास्थिति लेखबद्व किये जाने वाले कारणों से बढाई गयी कालावधि जो उसके फाईल किये जाने की तारीख से कुल मिलाकर 45 दिन से अधिक ना हो के भीतर भीतर निर्वर्तित की जायेगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्व द्वितीय अपील उस तारीख से 90 दिवस के भीतर भीतर राजस्थान राज्य सूचना आयोग को की जायेगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनो के निस्तारण के लिए कमरा नं. 82 में सूचना का अधिकार अनुभाग बनाया गया है एवं एक सूचनापट्ट भी लगाया गया है जिसमें नियमानुसार विवरण दिया गया है। अधिशाषी अभियन्ता (एम–II) को सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया गया है जो कि आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र मय आवेदन शुल्क प्राप्त करने, प्राप्त शुल्क को लेखा में जमा कराने एवं 5 दिवस में आवेदन को राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत करने का कार्य करेगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लिया जाने वाला शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:–

1	सूचना आवेदन	रूपये 10/– बी.पी.एल को निशुल्क
2.	अभिलेखों का निरीक्षण	प्रथम घंटे कोई फीस नहीं तथा प्रत्येक पश्चात्वती धण्टे या उसके भाग के लिए रूपये 5/–
3.	प्रतिलिपि (ए–4 या ए–3 आकार)	रूपये 2/– प्रति पृष्ठ
4.	प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ)	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
5.	सैम्पल या मॉडल के लिए	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
6.	डिस्केट या फलोपी	रूपये 50/– प्रति फ्लापी या डिस्क
7.	मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचन के लिए	प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए रू. 2/–

(शुल्क राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है)

सूचना उपलब्ध कराने की क्या समय सीमा रखी गयी हैः–

सूचना उपलब्ध कराने की क्या समय सीमा रखी गयी हैः–

30 दिन में	धारा 7(1)	सूचना हेतु आवेदन की तिथि से
35 दिन में	धारा 5(2)	यदि आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है
35 दिन में	धारा 6(3)	यदि आवेदन पत्र दूसरे लोक प्राधिकारी से संबधित है एंव उन्हे हस्तांतरित किया जाता है।
48 घंटे में	धारा 7(1)	यदि मांगी गयी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है।
40 दिन में	धारा 11	अन्य पक्षकार से संबधित सूचना हेतु किये जाने वाले अनुरोध की दशा में।

8. अधिकारपत्र के प्रावधानों की पालना एवं उल्लघंन के संदर्भ में विभागीय निर्देशों का विवरणः– नागरिक अधिकार पत्र के प्रावधानों के तहत किसी भी कृषक/नागरिक द्वारा विभाग के कार्यो से संबंधित चाही गयी सूचना उपलब्ध कराना अधिकारियों/कार्मिकों की वचन–बद्धता है, इसकी पालना नहीं करना अथवा उल्लघंन करने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

मुख्य अभियन्ता एवं अन्य कार्यालयों के दूरभाष नम्बर (जल संसाधन)

क्र.सं.	पद एवं कार्यालय का नाम	पदस्थापित स्थान	टेलिफोन नं. (कार्यालय)
1.	शासन सचिव, जल संसाधन	जयपुर	0141.2227654
2.	वरिष्ठ शासन सचिव, जल संसाधन	जयपुर	0141.5116986
3.	विशेषाधिकारी, जल संसाधन	जयपुर	0141.2227609
4.	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन	जयपुर	0141.2227042
5.	वित्तीय सलाहकार	जयपुर	0141.2227815
6.	अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा. सहाय. (प्रथम)	जयपुर	011.2227081
7.	मुख्य अभियंता, एस डब्ल्यू आर पी डी	जयपुर	0141.2702985
8.	अति. अभियंता, एस डब्ल्यू आर पी डी	जयपुर	0141.2705320
9.	मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रक	जयपुर	0141.2705320
10.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर	जयपुर	0141.2702353
11.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत जयपुर	जयपुर	0141.2702355
12.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत अजमेर	अजमेर	0145.2627498
13.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत भरतपुर	भरतपुर	05644.222552
14.	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन	कोटा	0744.2326915
15.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत कोटा	कोटा	0744.2327648
16.	निदेशक, आई एम टी आई	कोटा	0744.2500682
17.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत बारां	बारां	07453.235456
18.	मुख्य अभियन्ता (उत्तर)	हनुमानगढ़	01552.260607
19.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन	हनुमानगढ़	01552.260646
20.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत	सूरतगढ़	01509.260555
21.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत	श्रीगंगानगर	0154.2445016
22.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत	श्री विजयनगर	01498.230056
23.	मुख्य अभियन्ता, इगानप	बीकानेर	0151.2226401

24.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इगानप	बीकानेर	0151.2226404
25.	मुख्य अभियन्ता, इगानप	जैसलमेर	02992.252223
26.	मुख्य अभियन्ता, सीएडी इगानप	बीकानेर	0151.2226822
27.	मुख्य अभियन्ता, नर्मदा	सांचौर	02979.224568
28.	अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधनस ंभाग	जोधपुर	0291.2570681
29.	अधीक्षक, अभि., जल संसाधन, वृत, जोधपुर	जोधपुर	0291.2570781
30.	अति. मुख्य अभि. जल संसाधन संभाग, उदयपुर	उदयपुर	0294.2414794
31.	अधीक्षण अभियन्ता, माही परियोजना	बांसवाडा	02962.243238
32.	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत	भीलवाड़ा	01482.226540
33.	अधीक्षण अभियन्ता बांध वृत	देवली	01434.232149